न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एसंख्या)

अपील संख्या 2017 / 00259 (2017 / 148) दायरा दिनांक : 04.09.2017

उनवान

घनश्याम आयु 21 वर्ष पुत्र मनफूल मुतबन्ना पहलवान, जाति ढीमर, निवासी कुम्भराज रोड, छबडा, तहसील छबडा, जिला बारां राज०

.... अपीलांट

बनाम

1. गुड्डी बाई आयु 45 वर्ष पूर्व पत्नि पहलवान पुत्री उद्धालाल, जाति ढीमर, निवासी छबडा, तहसील छबडा, जिला बारां राज०
2. रानू आयु 24 वर्ष पुत्री पहलवान, जाति ढीमर, निवासी छबडा हाल मुकाम ग्राम राधोगढ़, तहसील राधोगढ, जिला गुना मध्यप्रदेश
3. नीतू आयु 26 वर्ष पुत्री पहलवान, जाति ढीमर, निवासी छबडा हाल मुकाम पुष्कर, तहसील पुष्कर, जिला अजमेर राज०
4. भंवर तंवर आयु 50 वर्ष पत्नि श्री नरेन्द्रसिंह, जाति राजपूत, निवासी वार्ड नं. 20 छबडा, तहसील छबडा, जिला बारां राज०
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा, जिला बारां राज0
6. मनफूल पुत्र गंगाराम, जाति ढीमर, निवासी कुम्भराज रोड, छबडा, तहसील छबडा, जिला बारां राज०
7. ताराबाई पुत्री गंगाराम, जाति ढीमर निवासी कुम्भराज रोड, छबडा, तहसील छबडा, जिला बारां राज०
8. उषा पुत्री भगवती व गणपतलाल, जाति ढीमर, निवासी छबडा, तहसील छबडा, जिला बारां राज०

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 2017 / 00260 (2017 / 149) दायरा दिनांक : 04.09.2017

उनवान

घनश्याम आयु 21 वर्ष पुत्र मनफूल मुतबन्ना पहलवान, जाति ढीमर, निवासी कुम्भराज रोड, छबडा, तहसील छबडा, जिला बारां राज०

.... अपीलांट

बनाम

1. गुड्डी बाई पूर्व पत्नि पहलवान पुत्री उदालाल, जाति ढीमर, निवासी छबडा, तहसील छबडा, जिला बारां राज०
2. रानू पुत्री पहलवान, जाति ढीमर, निवासी छबडा हाल मुकाम ग्राम राधोगढ़, तहसील राधोगढ, जिला गुना मध्यप्रदेश
3. नीतू पुत्री पहलवान, जाति ढीमर, निवासी छबडा हाल मुकाम पुष्कर, तहसील पुष्कर, जिला अजमेर राज०
4. भंवर तंवर पत्नि श्री नरेन्द्रसिंह, जाति राजपूत, निवासी वार्ड नं. 20 छबडा, तहसील छबडा, जिला बारां राज०
5. स्टेट आफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार छबडा, जिला बारां राज0

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

6. मनफूल पुत्र गंगाराम, जाति ढीमर, निवासी कुम्भराज रोड, छबडा, तहसील छबडा, जिला बारां राज०
7. ताराबाई पुत्री गंगाराम,
8. जमनालाल पुत्र जयकिशन
9. उषा पुत्री भगवती व गणपतलाल, जाति ढीमर, निवासी छबडा, तहसील छबडा, जिला बारां राज०
10. कल्लूराम पुत्र मिश्रीलाल, जाति ढीमर, निवासी छावनी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा राज०
11. दौलत पुत्र मिश्रीलाल, जाति ढीमर, निवासी छावनी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा राज०
12. सच्चू पुत्र बाबूलाल, जाति ढीमर
13. सीमा पुत्री बाबूलाल, जाति ढीमर
14. सुनीता पुत्री बाबूलाल, जाति ढीमर
15. रामकन्या बेवा बाबूलाल, मिश्रीलाल, जाति ढीमर, निवासी छावनी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा राज०
16. सूरज्या पुत्र कन्हैयालाल
17. दीपिका पुत्री कन्हैया लाल वलिया कमली बेवा कन्हैयालाल
18. कमली बेवा कन्हैया लाल, जाति ढीमर
19. छम्मो पुत्री मुंशी
20. कल्याण पुत्री मुंशी
21. जस्सो पुत्रियां मुंशी
22. कान्ती बेवा मुंशी, जाति ढीमर, निवासी छबडा, तहसील छबडा, जिला बारां राज०
23. शान्ति पुत्री मिश्रीलाल
24. कान्ति पुत्री मिश्रीलाल
25. बसन्ती पुत्री मिश्रीलाल
26. केसरबाई पुत्री मिश्रीलाल, जाति ढीमर, निवासीगण छबडा, तहसील छबडा, जिला बारां राज०
27. श्रीलाल पुत्र गोपीलाल, जाति ढीमर, निवासी कुम्भराज रोड, छबडा, तहसील छबडा, जिला बारां राज०
28. हरिप्रसाद पुत्र गोपीलाल
29. चौथमल पुत्र गोपीलाल
30. रामीबाई बेवा गोपीलाल, जाति ढीमर, निवासीगण कुम्भराज रोड, छबडा, तहसील छबडा, जिला बारां राज०
31. मोत्या बाई पुत्री गोपीलाल, जाति ढीमर, निवासी गागोलिया, तहसील छबडा, जिला बारां राज०
32. राजकुमारी पुत्री गोपीलाल, जाति ढीमर, निवासी बिदोरिया, तहसील राधोगढ, जिला गुना मध्यप्रदेश
33. कमलबाई पुत्री गोपीलाल, निवासी चौकी मोतीपुरा, तहसील छबडा, जिला बारां राज0
34. बृजमोहन पुत्र देवलाल, जाति ढीमर, निवासी भीलखेडा, तहसील छबडा, जिला बारां राज0
35. श्योजी पुत्र देवलाल, जाति ढीमर, निवासी भीलखेडा, तहसील छबडा, जिला बारां राज0
36. हंसराज पुत्र देवलाल, जाति ढीमर, निवासी भीलखेडा, तहसील छबडा, जिला बारां राज0
37. चन्द्री बाई पुत्री देवलाल, जाति ढीमर, निवासी रींझा, तहसील छबडा, जिला बारां राज0

...... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित श्री धर्मेन्द्र चौधरी अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री ओ. पी. मेहता अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 4 की ओर से,
शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : 12.08.2025

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा के प्रकरण संख्या 181/2014 व 182/2014 निर्णय व डिक्री दिनांक 30.03.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि (अपील संख्या 2017/00259 (2017/148) आराजी खसरा नम्बर 211 रकबा 7 बीघा 04 बिस्वा ग्राम माल छबडा, तहसील छबडा, जिला बारां राजस्थान में वाके है जो मुताबिक जमाबंदी संख्या 91 सम्वत 2070 ता 2073 प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 व तरतीबा प्रतिवादीगण के शामलाती खातेदारी में दर्ज है।

(अपील संख्या 2017/00260 (2017/149) आराजी खसरा नम्बर 324 रकबा 9 बीघा 07 बिस्वा मोजा टोडी, तहसील छबडा, जिला बारां राजस्थान में वाके है जो मुताबिक जमाबंदी संख्या 85 सम्वत 2069 ता 2072 प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 व तरतीबा प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। आराजी खसरा नम्बर 83 रकबा 1 बीघा, खसरा नम्बर 90/1 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 91/1 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 92/1 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 93/1 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 94 रकबा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 95/1 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 96/1 रकबा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 97/1 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 98/1 रकबा 06 बिस्वा किता 10 कुल रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 व तरतीबा प्रतिवादीगण के खातेदारी में दर्ज है।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा ने अपने निर्णय दिनांक 30.03.2017 से समस्त विवेचनानुसार प्रतिवादी नं. 25 ता 27, नीतू, रानू, गुड्डीबाई की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आर्डर 7 नियम 11 व धारा 10 एवं 151 सी.पी.सी. का स्वीकार किया गया, दावा नं. 167/2014 उनवान जमनालाल बनाम सच्चू, दावा नं. 182/14 उनवान घनश्याम बनाम गुड्डीबाई, दावा नं. 181/2014 उनवान घनश्याम बनाम गुड्डीबाई दावे मेन्टेनेबल नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज किये जाते हैं, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या 2017/00259 (2017/148) के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय उपजिला कलेक्टर, छबडा द्वारा अपीलांट/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद क्रमांक 181/2014 निर्णय व डिक्री दिनांक 30-03-2017 से दावा मेन्टेनेबल नहीं होना मानकर खारिज कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त वाद का निर्णय विधिवत सुनवाई नहीं की जाकर प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 10 व 151 सीपी.सी. को स्वीकार कर निर्णय पारित किया है जो खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट/वादी द्वारा ग्राम मौजा टोडी, तहसील छबड़ा की आराजी कुल किता 10 कुल रकबा 3.10 बीघा खाता संख्या नई 78 पुरानी 75 जमाबन्दी सम्वत 2065 से 2068 तथा खाता जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 ख. संख्या नई 86 पुरानी 78 में दर्ज मृतक खातेदार पहलवान पुत्र गंगाराम के जाति ढीगर के हिस्सा 1/4 आराजी में वादी को मुताबिक वसीयत दत्तक पुत्र घोषित किया जाकर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने की मांग की गई थी। मृतक खातेदार पहलवान पुत्र गंगाराम की कथाकथित पूर्व पत्नि श्रीमति गुड्डी बाई व पुत्रियां रानू व नीतू प्रतिवादीगण क्रम 1, 2 व 3 द्वारा अपने हक में खुलाये गये गैर कानूनी फोती इन्तकाल को निरस्त कराये जाने एवं उनके द्वारा विवादित आराजीयात के जरिये रजिस्ट्री बैचान विक्रय पत्र बहक प्रतिवादी कम 4 भंवर तंवर पत्नी नरेन्द्रसिंह, जाति राजपूत, निवासी छबड़ा द्वारा कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी न करने वास्ते एवं अवैध रूप से पुनः बेचान न करने वाले स्थाई निषेधाज्ञा की मांग की गई थी। अपीलान्ट/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में विवादित अराजीयात में दर्ज खातेदारान प्रतिवादीगण कम 1 ता 3 हिस्सा 1/4 एवं कथाकथित क्रेता प्रतिवादी क्रम 4 एवं राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबड़ा प्रतिवादी क्रम 5 आवश्यक पक्षकार होने से प्रतिवादीगण बनाये गये तथा अन्य सहखातेदारान मनफूल, ताराबाई, उषा पुत्री भगवती व गणपतलाल हिस्सा 3/4 खातेदार होने से तरतीबा प्रतिवादीगण क्रम 6, 7, 8 बनाये गये थे। वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 02-12-2014 को वाद प्रस्तुत किया था जिसमें प्रतिवादीगण क्रम 4 भंवर तंवर द्वारा दिनांक 14-10-2015 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सी० पी० सी० के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसका जवाब वादी/अपीलान्ट द्वारा दिनांक 06-11-2015 को प्रस्तुत किया जा चुका था। जिस पर बहस हेतु आगामी तारीखी पेशी दिनांक 10-11-2015, 02-12-2015, 09-12-2015, 06-01-2016, 24-02-2016, 09-03-2016, 16-03-2016, 21-03-2016 नियत की गई तथा दिनांक 31-03-2016 को ही प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 4 की ओर से जवाब दावा पेश किया तथा प्रतिवादी क्रम 5 ता 8 के जवाब में समय चाहा गया एवं पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 30-03-2016 नियत की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आर्डर सीट दिनांक 21-03-2016 के पश्चात दिनांक 30-03-2016 को उक्त वाद क्रमांक 181/2014 का वाद दावा नं. 182/2014 में समेकित किया जाना अंकित किया तथा दिनांक 30-03-2017 को आर्डर सीट में प्रकरण को निर्णित किया जाना अंकित किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण संख्या 181/2014 में पक्षकार नहीं होते हुये भी प्रतिवादी नं. 25 ता 27 नीतू, राजू, गुड्डी बाई की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

11 व धारा 10 व 151 सी. पी. सी. स्वीकार किया जाकर दावा नं० 167/2014 ब–उनवान मुकदमा जमनालाल बनाम सच्चू वगैरा दावा नं. 182/2014 ब–उनवान मुकदमा घनश्याम बनाम गुड्डी बाई वगैरा, दावा नं. –181/2014 ब–उनवान मुकदमा घनश्याम बनाम गुड्डी बाई वगैरा इस प्रकार तीनों दावे मेन्टेनेबल न मानकर इसी स्तर पर खारिज कर दिये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय वाद संख्या 80/2016 ब–उनवान मुकदमा भंवरतंवर बनाम मनफूल वगैरा को आधार मानकर निर्णित किया है तथा इसी वाद कमांक 80/2016 के साथ अन्य प्रकरण संख्या 167/2014, 181/2014, 182/2014 का भी निर्णय कर दिया है जो खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। प्रकरण संख्या 80/2016 से पहले प्रकरण संख्या 167/2014 जिसे जमनालाल व अन्य 9 वादीगण द्वारा सच्चू वगैरा 1 ता 29 प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 25–09–2014 को वाद कारण उत्पन्न होना मानकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद बाबत निर्णय व डिक्री अवैध घोषित किये जाने तथा भूमियों का पुनः विभाजन किये जाने हेतु वाद प्रस्तुत किया था जिस पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत तरीके से सुनवाई नहीं कर महत्वपूर्ण कानूनी भूल की है। अपीलान्ट/वादी द्वारा प्रस्तुत दोनों दावे क्रमांक 181/2014 एवं 182/2014 पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत तरीके से सुनवाई कर निर्णय पारित नहीं किया जाकर महत्त्वपूर्ण कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सन् 2016 में प्रस्तुत किया गया वाद क्रमांक 80/2016 ब–उनवान मुकदमा भंवर तंवर बनाम मनफूल वगैरा की भी विधिवत सुनवाई नहीं की गई एवं उसमें भी आदेश 7 नियम 11 व धारा 10 व 151 सी० पी० सी० के आधार पर गैर कानूनी निर्णय पारित कर चारों दावों को एक साथ निर्णित कर महत्वपूर्ण कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचाराधीन चारों दावों में विधिवत जवाब दावे प्राप्त नहीं किये तनकियात कायम नहीं की तथा साक्ष्य नहीं ली गई, तथा गैर कानूनी तरीके से चारों दावों को दिनांक 30–03–2016 को समेकित किया जाना अंकित कर एक साथ निर्णय पारित कर सभी दावे खारिज कर दिये। जो खिलाफ कानून होने से उपरोक्त निर्णय दिनांक 30–03–2017 निरस्त दिये जाने योग्य है। अपीलान्ट/वादी द्वारा मृतक सहखातेदार पहलवान पुत्र गंगाराम के हिस्सा 1/4 आराजी पर वसीयत के आधार पर दत्तक पुत्र की घोषणा एवं उसके हक व हिस्से की आराजी पर काबिज होने के आधार पर स्थाई निषेधाज्ञा चाही गई थी। जिसका विधिवत सुनवाई कर निर्णय पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा महत्वपूर्ण कानूनी भूल की है। इस कारण उक्त निर्णय निरस्त किया जाकर पुनः विधिवत सुनवाई हेतु एवं वादी/अपीलान्ट के अधिकारों की सुरक्षा किये जाने हेतु निर्देश/आदेश दिया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर, छबडा का निर्णय दिनांक 30–03–2017 प्रकरण संख्या 181/2014 निरस्त फरमाया जावें।

अपील संख्या 2017/00260 (2017/149) के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय उपजिला कलेक्टर छबडा द्वारा अपीलांट/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद क्रमांक 182/2014 निर्णय व डिक्री दिनांक 30–03–2017 से दावा मेन्टेनेबल नहीं होना मानकर खारिज कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त वाद का निर्णय विधिवत सुनवाई नहीं की जाकर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 10 व 151 सीपी.सी. को स्वीकार कर निर्णय पारित किया है जो खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट/वादी द्वारा ग्राम छबड़ा की आराजी खसरा नं. 211 रकबा 7.04 बीघा खाता जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 खाता संख्या नई 91 पुरानी 216 में दर्ज मृतक खातेदार पहलवान पुत्र गंगाराम के जाति ढीगर के हिस्सा 1/16 आराजी में वादी को मुताबिक वसीयतनामा दिनांक 31-07-2002 के आधार पर दत्तक पुत्र घोषित किया जाकर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने की मांग की गई थी। मृतक खातेदार पहलवान पुत्र गंगाराम की कथाकथित पूर्व पत्नि श्रीमति गुड्डी बाई व पुत्रियां रानू व नीतू प्रतिवादीगण क्रम 1, 2 व 3 द्वारा अपने हक में खुलाये गये गैर कानूनी फोती इन्तकाल को निरस्त कराये जाने एवं उनके द्वारा विवादित आराजीयात के जरिये रजिस्ट्री बैचान विकय पत्र बहक प्रतिवादी कम 4 भंवर तंवर पत्नी नरेन्द्रसिंह, जाति राजपूत, निवासी छबड़ा द्वारा कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी न करने वास्ते एवं अवैध रूप से पुनः बेचान न करने वाले स्थाई निषेधाज्ञा की मांग की गई थी। अपीलान्ट/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में विवादित अराजीयात में दर्ज खातेदारान प्रतिवादीगण कम 1 ता 3 हिस्सा 1/16 एवं कथाकथित क्रेता प्रतिवादी क्रम 4 एवं राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबड़ा प्रतिवादी क्रम 5 आवश्यक पक्षकार होने से प्रतिवादीगण बनाये गये तथा अन्य सहखातेदारान मनफूल, ताराबाई वगैरा कम 6 ता 37 को सहखातेदार होने से तरतीबा प्रतिवादीगण क्रम 6 ता 37 बनाये गये थे।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण संख्या 182/2014 में पक्षकार नहीं होते हुये भी प्रतिवादी नं. 25 ता 27 नीतू, राजू, गुड्डी बाई की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 10 व 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर दावा नं. 167/2014 ब-उनवान मुकदमा जमनालाल बनाम सच्चू वगैरा दावा नं. 182/2014 ब-उनवान मुकदमा घनश्याम बनाम गुड्डी बाई वगैरा, दावा नं. 181/2014 ब-उनवान मुकदमा घनश्याम बनाम गुड्डी बाई वगैरा इस प्रकार तीनों दावे मेन्टेनेबल न मानकर इसी स्तर पर खारिज कर दिये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय वाद संख्या 80/2016 ब-उनवान मुकदमा भंवर तंवर बनाम मनफूल वगैरा को आधार मानकर निर्णित किया है तथा इसी वाद कमांक 80/2016 के साथ अन्य प्रकरण संख्या 167/2014, 181/2014, 182/2014 का भी निर्णय कर दिया है जो खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। प्रकरण संख्या 80/2016 से पहले प्रकरण संख्या 167/2014 जिसे जमनालाल व अन्य 9 वादीगण द्वारा सच्चू वगैरा 1 ता 29 प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 25-09-2014 को वाद कारण उत्पन्न होना मानकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद बाबत निर्णय व डिक्री अवैध घोषित किये जाने तथा भूमियों का पुनः विभाजन किये जाने हेतु वाद प्रस्तुत किया था जिस पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत तरीके से सुनवाई नहीं कर महत्वपूर्ण कानूनी भूल की है। अपीलान्ट/वादी द्वारा प्रस्तुत दोनों दावे क्रमांक 181/2014 एवं 182/2014 पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत तरीके से सुनवाई कर निर्णय पारित नहीं किया जाकर महत्त्वपूर्ण कानूनी भूल की है। इस कारण उक्त निर्णय निरस्त किया जाकर पुनः विधिवत सुनवाई हेतु एवं वादी/अपीलान्ट के अधिकारों की सुरक्षा किये जाने हेतु

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

निर्देश/आदेश दिया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर, छबडा का निर्णय दिनांक 30-03-2017 प्रकरण संख्या 182/2014 निरस्त फरमाया जावें।

दोनों अपीलों के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 01.05.2017 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस लिखित बहस एवं अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दो अपीलों का एक ही निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने चार दावों को समेकित करते हुए निर्णय पारित किया है। सारे दावे एक ही प्रकृति के हैं, समान पक्षकार हैं, अनुतोष समान है के सन्दर्भ में कोई कथन नहीं किया। आर्डर 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र का उल्लेख नहीं है। विवादित आराजी रेस्पोडेंट कम 1 ता 3 ने रेस्पोडेंट कम 4 को रजिस्टर्ड दस्तावेज से बेचान किया है यही दावे को खारिज करने का आधार है। हमारा खातेदारी का दावा है यह अनुतोष राजस्व न्यायालय ही दे सकता है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में काट-छांट है जो सन्देह उत्पन्न करती है। केवल रजिस्टर्ड दस्तावेज होने के कारण सिविल कोर्ट में निरस्त करवाने हेतु दावा पेश नहीं किया केवल इस आधार पर हमारा दावा खारिज करना गलत है, अनुतोष खातेदारी अधिकारों की घोषणा का है। अतः प्रकरण निरस्त करते हुए रिमाण्ड किया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर.एल.डब्ल्यू. 2019 (3) पेज 2371, एस.बी.सिविल मिस. संख्या अपील नं. 563/1993 आदेश दिनांक 20.12.2011, डी.एन.जे. 2007 (सप्ली.) एस.सी. पेज 251, 2021 (2) सी.जे. **(Civ.)**(राज0) पेज 507, 2024 (2) आर.आर.टी. पेज 1119, 2024 (1) आर.आर.टी. पेज 58, आर.आर.टी. 2022-23 (सप्ली.) पेज 354, 2024 (2) आर.आर.टी. पेज 1038 की नजीरे उद्धरत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि आर्डर 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र का अपीलांट ने अवलोकन नहीं किया। मद नं. 4 में पहलवान के दत्तक बनकर आये हैं। मद नं. 5 में जन्म तिथि 12.09.1996 है। वसीयत दिनांक 31.07.2002 को की गई है जिसमें घनश्याम की आयु 8 वर्ष लिखी है जबकि घनश्याम की आयु 6 वर्ष ही होती है। मद नं. 6 में वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पत्ति है। पहलवान के तीन वारिस हैं जो प्रतिवादी नं. 1 ता 3 हैं। यदि वारिस हैं तो दत्तक की घोषणा सिविल कोर्ट से करवानी होगी। इस तथ्य को जवाब अधीनस्थ न्यायालय में नहीं दिया। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। अपील खारिज की जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार वादी अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में तहसील छबडा, जिला बारां के ग्राम छबडा के खसरा नम्बर 211 रकबा 7 बीघा 04 बिस्वा एवं ग्राम टोडी के खसरा नम्बर 324 रकबा 9 बीघा 07 बिस्वा विवादित आराजी के सन्दर्भ में अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने हेतु कमशः दो दावे प्रकरण संख्या 182/14 एवं प्रकरण संख्या 181/14 पेश किये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों दावों को समेकित करते हुए प्रार्थी प्रतिवादी कम 4 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 7 नियम 11 व धारा 151 सी. पी. सी. के प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी वादी का जवाब प्राप्त करने के पश्चात उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की प्रार्थना पत्र पर दिनांक 30.03.2017 को बहस सुनते हुए प्रार्थी प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 7 नियम 11 एवं धारा 151 सी. पी. सी. स्वीकार करते हुए वादी का वाद मेन्टेनेबल नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र के स्तर पर ही खारिज करने का निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि मृतक पहलवान के वारिसान नीतू, रानू, गुड्डीबाई ने जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र केता भंवर तंवर को बेचान किया है। इसके सम्बन्ध में किसी सक्षम सिविल न्यायालय में प्रकरण पेश नहीं किया है और इसी आधार पर वादी का दावा मेन्टेनेबल नहीं होना माना है।

अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट ने अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत दो दावे प्रस्तुत कर ग्राम छबडा एवं ग्राम टोडी की विवादित कृषि भूमि में खातेदार पहलवान के हिस्से की आराजी पर सहखातेदार पहलवान के स्थान पर वादी को खातेदार घोषित करने एवं मृतक पहलवान की मृत्यु बाद खोले गये फोती नामान्तरकरण को निरस्त फरमाया जाकर प्रतिवादी रेस्पोडेंट कम 1 ता 3 द्वारा प्रतिवादी रेस्पोडेंट कम 4 के पक्ष में निष्पादित विकय पत्र दिनांक 14.10.2014 को वादी के हक तक प्रभावशून्य घोषित किये जाने एवं प्रतिवादी/रेस्पोडेंट कम 1 ता 4 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का अनुतोष चाहा है। वादी अपीलांट द्वारा दोनों दावों में चाहा गया मूल अनुतोष विवादित कृषि भूमि पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा से सम्बन्धित होने के कारण वादी द्वारा प्रस्तुत दोनों दावों को सुनने का अधिकार राजस्व न्यायालय को ही प्राप्त है। खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के दावों को आर्डर 7 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र पर निर्णय पारित करते हुए दावा खारिज करने में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथम दृष्टया चूक की है। आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रावधानों के अनुसार वाद हैतुक प्रकट नहीं होना, अनुतोष का मूल्यांकन कम किया जाना, अपर्याप्त स्टाम्प पर होने, दावा विधि द्वारा वर्जित होने एवं दो प्रतियों में दाखिल नहीं करने के आधारों पर दावा खारिज होने का प्रावधान है । उक्त प्रावधानों के अनुसार ही कोई वाद खारिज किया जा सकता

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. में कथन कि पंजीकृत विक्रय पत्रों को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार केवल सिविल न्यायालयों को हैं, राजस्व न्यायालयों को नहीं है। इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद खारिज कर दिया। लेकिन आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जैसा कि उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. में वर्णित किया था। वाद राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है या नहीं, इसका निर्णय केवल तनकी कायम करने के उपरान्त ही किया जा सकता है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने बिना तनकी कायम किये ही उक्त वाद खारिज कर कानूनी भूल की है।

वादी अपीलांट ने विवादित आराजी के सन्दर्भ में सहखातेदार पहलवान के द्वारा वादी अपीलांट को अपना दत्तक पुत्र बताते हुए अपने हिस्से की आराजी के सन्दर्भ में अपीलांट के पक्ष में निष्पादित वसीयत दिनांक 31.07.2002 के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहने बाबत प्रस्तुत दोनों दावों का निस्तारण विधिक प्रावधानों के अनुसार वादी के वाद पत्र एवं प्रतिवादीगण के जवाब दावे के आधार पर तनकीयात कायम करने के पश्चात् वादी एवं प्रतिवादीगण को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर तनकीवार विवेचन के आधार पर किया जाना विधिक रूप से आवश्यक होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय खारिज होने योग्य है। वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत जीवनराम बनाम जोराराम वगैरा 2021 (2) सी.जे. (सिविल) पेज 507, रामकरण बनाम रामसिंह वगैरा आर.आर.टी. 2024 (2) राज. पेज नं. 1119, निजामुद्दीन बनाम जन्नत बानो वगैरहा, आर.आर.टी. 2024 (2) राजस्व मण्डल पेज नं. 1038, दानिश बनाम अब्दुल राशिद खान वगैरहा आर.आर.टी. 2022–23 (सप्लीमेन्ट्री) राजस्व मण्डल पेज नं. 354 गुरमेज कौर बनाम देवी वगैरहा, आर.आर.टी. 2024 (1) राजस्व मण्डल पेज नं. 58 उपरोक्त सभी न्यायिक दृष्टांत वर्तमान विचाराधीन अपील पर चस्पा होते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीले अपील संख्या 2017/00259 (2017/148) एवं अपील संख्या 2017/00260 (2017/149) आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.03.2017 खारिज की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एवं जवाब दावे के आधार पर तनकीयात कायम करने के पश्चात् उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सनुवाई का समचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर तनकीवार विवेचन के पश्चात प्रकरण में पुनः नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.09.2025 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/08/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा